न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 38/2022

बउनवान

मोती लाल आयु 71 वर्ष पुत्र जगन्नाथ, जाति गुर्जर, निवासी टारडा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 07.02.2023

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.03.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम राजपुरा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.16 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 88/– रूपये शास्ति एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि जमा करवा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.03.2022 निरस्त किया जावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:47 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जो निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.03.2022 निरस्त किया जावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1698/21 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.10 है., किस्म-चारागाह, ग्राम राजपुरा पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 1698/21 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2021 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान एवं प्रकरण संख्या 1698/21 में पारित निर्णय एवं बेदखलीनामा की छायाप्रति से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 543/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:47 IST
Reason: SelfAttested